राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।

क्रमांकः–अराजा / सामा / विधि / रा0लो0अदा. / 2017 / दिनांकः–

– आदेश –

विभाग में लम्बित पेंशन प्रकरणो से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत मे रखे जाते है। प्रकरणो का अवलोकन करने पर पाया गया कि अधिकांश प्रकरणों में कार्मिको को समय पर पेंशन परिलाभ का भुगतान नहीं किया जाता है। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.12(2) वित्त / नियम / 2012 दिनांक 29.7.2016 के अनुसार विभागीय स्तर पर पेंशन प्रकरण को समय पर निस्तारण नहीं होने की स्थिति में कार्मिक को 9 प्रतिशत ब्याज का भुगतान जिसके लिये दोषी कार्मिक का उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुये ब्याज राशि भुगतान के निर्देश जारी किये हुए है।।

अतः अराजपत्रित संवर्ग के कार्मिको के लिये ऐसे समस्त प्रकरण जिनमे कार्मिक के पेंशन परिलाभ का भुगतान समय पर नहीं हुआ है, राज्य स्तर पर प्रकरणों की जॉच हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की कमेटी गठित की जाती हैः–

1. डॉ0 प्रताप सिह दूत्तड उप निदेशक(प्रशासन)
2. प्रतिनिधि वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
3. श्री उगमा राम सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय।
4. श्री कैलाश चन्द श्रृंगी, संस्थापन अधिकारी, मुख्यालय।

कमेटी द्वारा विभाग के समस्त लम्बित पेंशन प्रकरण जो दिनांक 8.4.17 (लोक अदालत) मे दर्ज है, का परीक्षण कर प्रकरण में दोषी लोक सेवक का उत्तरदायित्व निर्धारण कर रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 7 दिवस मे प्रस्तुत करेगी तथा जिलो से प्राप्त रिपोर्ट 15 दिवस मे प्रस्तुत करेगी। ताकि प्रकरणों मे समय पर पेंशन संबधित ब्याज राशि के भुगतान की कार्यवाही कर ब्याज राशि की वसूली संबधित दोषी लोक सेवको से की जा सके।

श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा, कार्यालय अधीक्षक,एवं श्री अशोक कुमार पारीक, लिपिक ग्रेड–प्रथम स्वास्थ्य अनुभाग, मुख्यालय उपरोक्त कमेटी को सूचना संबधित अनुभाग / नियंत्राणाधीन अधिकारियों से प्राप्त कर प्रस्तुत करेगें।

Sd/-
(रामनिवास जाट)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

क्रमांकः–अराजा / सामा / विधि / रा0लो0अदा. / 2017 / 828 दिनांकः– 7/4/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकि. एवं स्वा.(ग्रुप–3) विभाग, राज0 जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मुख्यालय।
3. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन
5. समस्त–मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, राजस्थान
6. समस्त– प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान
7. समस्त–अधीक्षक, सम्बद्व चिकित्सालय, राजस्थान
8. संबधित कमेटी सदस्य एवं सहयोगी कर्मचारियो को पालनार्थ।
9. प्रभारी सर्वर कक्ष मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय वैबसाईट पर अपलोड के साथ संबंधित को ई–मेल भी करावें।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राज0 जयपुर।